रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19082025-265504
SG-DL-E-19082025-265504

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 2025/श्रावण 23, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 182
No. 241]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2025/SHRAVANA 23, 1947	[N. C. T. D. No. 182

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग (गृह पुलिस–II)

अधिसूचना

दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

दिल्ली बीएनएसएस (सम्मन एवं वारंट की सेवा) नियमावली, 2025

फा. सं. 11/08/2024/गृ0पु0–II/पार्ट फाइल/2696–2705–गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की दिनांक 28.06.2024 की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 2506 (ई) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 64(1) की उपधारा (1) तथा (2) तथा धारा 530 के खंड (i) तथा अन्य सक्षम प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ–**

(i) इन नियमों को 'दिल्ली बीएनएसएस (सम्मन एवं वारंट की सेवा) नियमावली, 2025' कहा जाए।

(ii) इनका विस्तार सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जिला न्यायालयों के लिए होगा।

(iii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ–**

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "सीसीटीएनएस" का अभिप्राय अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणाली से है, प्रणाली सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग पुलिस द्वारा डेटा के संग्रहण और निर्देशों के निष्पादन हेतु किया जाता है;

(ख) "सीआईएस" का अभिप्राय केस सूचना प्रणाली से है, प्रणाली सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग दिल्ली में जिला न्यायपालिका द्वारा डेटा के संग्रहण और निर्देशों के निष्पादन हेतु किया जाता है;

(ग) "प्रकटीकृत इलेक्ट्रॉनिक मेल पता" का अभिप्राय किसी व्यक्ति या संगठन के ईमेल खाता से है, जिसका उपयोग व्यक्ति या संगठन द्वारा इंटरनेट पर संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या यह दर्शाया जाता है कि यह ऐसे व्यक्ति या संगठन द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी वेबसाइट अथवा पोर्टल पर स्वीकार किया गया है, या उपलब्ध कराया गया है;

(घ) "इलेक्ट्रॉनिक संचार" का अभिप्राय संहिता की धारा 2(1)(i) में यथापरिभाषित इलेक्ट्रॉनिक संचार से है;

(ड.) "ई–साइन" का अभिप्राय किसी अभिदाता या न्यायालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण से है तथा इसमें डिजिटल हस्ताक्षर शामिल हैं। साथ ही, जब इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार की गई प्रक्रिया या रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है, तो इसे उस व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित माना जाएगा जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाया है;

(च) "उच्च न्यायालय" का अभिप्राय दिल्ली उच्च न्यायालय से है;

(छ) "आदेशिका" का अभिप्राय सम्मन एवं वारंट से है;

(ज) संहिता" का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) से है;

(झ) "मुहर" का अभिप्राय न्यायालय की मुहर की छवि से है;

(जे) "सम्मन" का अभिप्राय संहिता के अन्तर्गत जारी किये गए किसी भी सम्मन से है;

(ट) "वारंट" का अभिप्राय संहिता के अंतर्गत जारी वारंट से है तथा इसमें जमानतीय वारंट तथा गैर–जमानती वारंट भी शामिल हैं।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46); भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45); भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में यथानिर्दिष्ट है।

3. **आदेशिका का सृजन–**

(1) न्यायालय, संहिता की दूसरी अनुसूची में निर्धारित प्रारूप में सीआईएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड में आदेशिका तैयार करेगा तथा जारी करेगा, जिसमें प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

(2) संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संचार के रूप में जारी प्रत्येक आदेशिका सामान्यतः न्यायालय की भाषा में लिखी जाएगी तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार के एन्क्रिप्टेड रूप में होगी।

(3) इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार की गई आदेशिका पर न्यायालय की मुहर की छवि तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का ई–साइन अंकित होगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप में गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट न्यायालय के पीठासीन

अधिकारी के ई–साइन द्वारा जारी किया जाएगा और उस पर न्यायालय की मुहर की छवि भी अंकित होगी।

(4) इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी प्रत्येक आदेशिका में ई–साइन इस प्रकार से होगा कि न्यायालय का नाम तथा जिस क्षमता से हस्ताक्षरकर्ता या अभिदाता कार्य करता है, वह स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

(5) यथापेक्षित, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भेजे जाने वाले सम्मन के साथ शिकायत, आरोप–पत्र, दस्तावेजों आदि की सॉफ्ट प्रतियां या स्कैन की गई प्रतियां संलग्न की जा सकती हैं।

4. **विवरणों का रजिस्टर :**

(1) प्रत्येक पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में अपेक्षित विवरणों को दर्ज करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा रूप में एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा जिसमें संहिता के अन्तर्गत सम्मन तथा वारंट को इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची–I में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में जारी किया जाना अपेक्षित हो सकता है।

(2) जहां किसी जांच, अन्वेषण या परीक्षण के दौरान किसी पुलिस अधिकारी या न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत उस चरण पर या बाद के चरण पर सम्मन या वारंट की सेवा करनी पड़ सकती है, चाहे वह अभियुक्त या साक्षी के रूप में हो या अन्यथा रूप में, ऐसा पुलिस अधिकारी या न्यायालय ऐसे व्यक्ति से संबंधित पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को संबोधित करते हुए घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है जिसमें ऐसे व्यक्ति के संबंध में **अनुसूची–I** में विनिर्दिष्ट अपेक्षित विवरण दिए गए हों, साथ ही यह वचन भी दिया गया हो कि ऐसा व्यक्ति **अनुसूची–I** में विनिर्दिष्ट किसी भी विवरण में परिवर्तन होने की स्थिति में संबंधित पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी को तुरंत सूचित करेगा।

(3) यदि ऐसा कोई विवरण उपलब्ध न हो तो पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी रजिस्टर में उस उद्देश्य से पृष्ठांकन करेगाः

यह भी उपबंधित है कि ऐसे किसी विवरण को आगे सत्यापन के आधार पर या ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन के आधार पर संशोधित किया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी ऐसे रजिस्टर की एक प्रति, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय को, जैसा भी मामला हो, संबंधित न्यायालय के आधिकारिक ई–मेल के माध्यम से मासिक आधार पर भेजेगा तथा उक्त जानकारी सीआईएस में अनुरक्षित की जाएगी और इसका उपयोग आदेशिका जारी करने के लिए किया जा सकता है।

(5) पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट सत्यापित विवरण सीसीटीएनएस में दर्ज किए जाएं।

5. **शिकायत मामले में विवरण–**

जहां मामला निजी शिकायत के आधार पर दर्ज किया जाता है, वहां शिकायतकर्ता को शिकायत के साथ आरोपी और साक्षी का पता, प्रकट किया गया इलेक्ट्रॉनिक मेल पता, फोन नंबर और संदेश एप्लिकेशन से संबंधित विवरण उपलब्ध करना होगा। यदि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो शिकायतकर्ता को उस उद्देश्य से पृष्ठांकन करना होगा। उक्त विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी प्रेषित किए जाएंगे और सीआईएस में अनुरक्षित किए जाएंगे तथा आदेशिका जारी करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

6. पीड़ित तथा साक्षी के विवरण का गैर–प्रकटन–

(1) पीड़ित तथा साक्षियों का प्रकटित इलेक्ट्रॉनिक मेल पता, फोन नंबर और संदेश एप्लिकेशन से संबंधित विवरण अभियुक्त को प्रकट नहीं किए जाएंगे।

(2) जहां भारतीय न्याय संहिता (2023 का 45) की धारा 64 से 71 के अंतर्गत अपराधों या महिलाओं या बच्चों के विरुद्ध अपराधों अथवा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित मामलों में कोई आदेशिका जारी की जाती है, वहां संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सेवा की प्रक्रिया या निष्पादन के दौरान पीड़ित की पहचान किसी भी प्रकार से प्रकट न हो।

7. इलेक्ट्रॉनिक सम्मन वितरण केंद्रः

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा दिल्ली पुलिस संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से सम्मन की सेवा हेतु अपेक्षित आधारभूत संरचना के साथ प्रत्येक पुलिस थाना में एक इलेक्ट्रॉनिक सम्मन वितरण केंद्र स्थापित करेगी।

(2) प्रत्येक अन्य जांच एजेंसी संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से सम्मन की सेवा हेतु अपने कार्यालय में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सम्मन वितरण केंद्र स्थापित भी करेगी।

8. इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से सम्मन सेवा :

(1) सम्मन किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से जारी करने वाले न्यायालय के किसी अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण : जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से सेवा करने का दिशा–निर्देश दिया जाता है, वहां सम्मन की सेवा ई–मेल, व्हाट्सएप या किसी अन्य त्वरित संदेश सेवा के माध्यम से की जा सकती है, जैसा कि न्यायालय आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें, जिससे प्राप्तकर्ता के ई–मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर या अन्य त्वरित संदेश सेवा आईडी पर डिजिटल रूप में सम्मन का वितरण संभव हो सके, जैसा कि नियम 4 के अनुसार बनाए गए रजिस्टर में उपलब्ध है।

9. जहाँ अपेक्षित विवरण उपलब्ध न हों, वहाँ सम्मन की सेवा :

(1) जहाँ न्यायालय के पास उस व्यक्ति का आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक पता/संपर्क विवरण उपलब्ध नहीं है जिसे ऐसे सम्मन की सेवा की जानी है या जहाँ नियम 9 के अनुसार जारी आदेशिका की सेवा नहीं हुई है, वहाँ न्यायालय आदेश दे सकता है कि सम्मन किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य जाँच एजेंसी के अधिकारी या राजस्व विभाग या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किसी अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा भेजा जाए, जैसा कि न्यायालय अपने आदेश में निर्दिष्ट करे।

(2) जहाँ उप–नियम (1) के अंतर्गत सम्मन की सेवा किया जाना आवश्यक है, वहाँ उसे संबंधित पुलिस स्टेशन के इलेक्ट्रॉनिक सम्मन वितरण केंद्र या संबंधित जाँच एजेंसी के कार्यालय को सेवा के लिए प्रेषित किया जाएगा।

(3) पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, ऐसे सम्मन की प्राप्ति पर, सम्मन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के प्रकट किए गए इलेक्ट्रॉनिक मेल पते, मोबाइल फोन नंबर या संदेश एप्लिकेशन पर सम्मन अग्रेषित कर सकता है।

(4) यदि सम्मन किए गए व्यक्ति से संबंधित ईमेल पता, मोबाइल फोन नंबर या संदेश एप्लिकेशन का सत्यापित विवरण उपलब्ध नहीं है, तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी इस संबंध में एक प्रविष्टि करेगा और इलेक्ट्रॉनिक मोड में जारी सम्मन का प्रिंटआउट लेने के बाद, उसे संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित करेगा।

(5) जहाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित सम्मन सीसीटीएनएस पर एक सुरक्षित प्रणाली के माध्यम से एन्क्रिप्टेड या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के रूप में प्राप्त होता है, उसे न्यायालय द्वारा जारी किया गया माना जाएगा। इसके अलावा, ऐसी आदेशिका के किसी भी प्रिंटआउट का इसके निष्पादन के प्रयोजनार्थ मूल रूप में जारी आदेशिका के समान प्रभाव होगा।

10. सम्मन का वितरण–

(1) जहां सम्मन को इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से भेजा जाता है, वहां यदि सेवा प्रदाता वितरण की पावती देता है, तो सेवा की गई मानी जाएगी।

(2) जब कोई सम्मन किसी व्यक्ति या संगठन को प्रकटित इलेक्ट्रॉनिक मेल पते पर भेजा जाता है, तो जब तक कि इलेक्ट्रॉनिक मेल की डिलीवरी किसी भी कारण से बाधित या वापस नहीं आ जाती है, तब तक डिलीवरी प्रभावी मानी जाएगी; तथा जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, उस समय तक प्रभावी मानी जाएगी जिस समय इलेक्ट्रॉनिक मेल को डिलीवर किया जाना था।

(3) जहां सम्मन को संदेश एप्लिकेशन सहित किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, वहां पावती सेवा की रिपोर्ट का रूप लेगी और रिपोर्ट में मोबाइल नंबर, संदेश एप्लिकेशन और संचार के वितरण को दर्शाने वाले एप्लिकेशन के स्क्रीनशॉट/फोटो सहित विवरण शामिल होंगे।

स्पष्टीकरण : पावती में निम्नलिखित द्वारा दी गई पावती शामिल है–

(क) प्रेषिती द्वारा स्वचालित या अन्यथा कोई संसूचना; या

(ख) प्रेषिती का कोई भी आचरण, जो स्रोत को यह सूचित करने के लिए पर्याप्त हो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त हो गया है।

(4) न्यायालय, अपनाई गई सेवा की पद्धति, मानवीय आचरण के सामान्य क्रम तथा सार्वजनिक एवं निजी कार्य को ध्यान में रखते हुए, संतुष्ट हो जाने पर, आदेश द्वारा घोषित कर सकेगा कि सम्मन की सेवा इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से विधिवत् रूप से की गई है।

(5) सम्मन/आदेशिका की एक प्रति, सेवा की रिपोर्ट के साथ, सम्मन/आदेशिका की सेवा के प्रमाण के रूप में रिकार्ड में रखी जाएगी।

(6) जहां सम्मन इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य तरीके से नहीं भेजा जाता है, या डिलीवरी बाधित होती है और किसी अन्य कारण से डिलीवर नहीं होता है या वापस आ जाता है, तो संबंधित अधिकारी उस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें मोबाइल नंबर, संदेश एप्लिकेशन और एप्लिकेशन का स्क्रीनशॉट/फोटो सहित सभी विवरण शामिल होंगे तथा उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

11. वारंट या किसी आदेशिका की व्यक्तिगत रूप से सेवा–

(1) जहां कोई वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जारी किया जाता है, पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी पुलिस अधिकारी वारंट का प्रिंटआउट लेगा तथा उसे संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निष्पादित करेगा।

(2) जहां कोई आदेशिका इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्रेषित या निष्पादित नहीं की जाती है, वहां पुलिस अधिकारी आदेशिका प्रेषित या निष्पादित करते समय प्राप्तकर्ता की पावती लेगा और फोटोग्राफ ले सकेगा, जो सेवा की रिपोर्ट का भाग होगा।

(3) वारंट या अन्य आदेशिका की विधिवत सेवा या गैर–सेवा पर, संबंधित पुलिस थाना का सेवा अधिकारी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट सहित जमानत बॉन्ड, फोटोग्राफ, पावती, यदि कोई हो, को सीसीटीएनएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में संबंधित न्यायालय को भेजेगा, जब तक कि इसे भौतिक रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक न हो।

(4) उप–नियम (3) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्यायालय, ऐसी रिपोर्ट पर उचित समझे जाने पर कार्रवाई कर सकता है।

(5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) की धारा 63 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्रमाणीकरण द्वारा समर्थित रिपोर्ट का प्रिंटआउट आदेशिका की सेवा/निष्पादन के संबंध में संतुष्टि के प्रयोजन हेतु पर्याप्त माना जाएगा।

12. न्यायालय की शक्तियों का बचाव :

इन नियमों की कोई भी बात संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में दिए गए सम्मन या नोटिस या अन्य संचार की सेवा से संबंधित न्यायालय की शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

13. निरसन एवं बचाव :

(1) "दिल्ली बीएनएसएस (सम्मन की सेवा) नियमावली, 2025 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद, "दिल्ली बीएनएसएस (सम्मन की सेवा) नियमावली, 2025" के अन्तर्गत पूर्व में किए गए किसी भी कार्य या जारी किए गए निर्देशों को वर्तमान नियमावली के अन्तर्गत किया गया या जारी किया गया माना जाएगा।

(3) बनाया गया कोई भी नियम न्यायालय द्वारा आदेशिका जारी करने, प्रेषित करना और निष्पादन के लिए वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून या नियम के अतिरिक्त होगा, न कि उसका लाघवरूप में।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
संजीव कुंडू, उप–सचिव (गृह-I)

अनुसूची–I

(भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 64(1))

(देखें नियम–4)

रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली सूचना

पुलिस स्टेशन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
एफआईआर संख्या	पंजीकृत तिथि	धारा के अन्तर्गत	व्यक्ति का पूरा नाम, उपनाम सहित, यदि कोई हो	पिता/पति/माता/पत्नी का नाम	वर्तमान पता	स्थायी पता, यदि कोई हो	कार्यालय का पता, यदि कोई हो	दूरभाष नम्बर	मोबाइल नम्बर	व्हाट्सएप नम्बर	कोई अन्य त्वरित संदे"ा आईडी	ई–मेल का पता, यदि कोई हो	पु0स्टे0 (राज्य/केन्द्र शासित प्रदे"ा/शहर के साथ) जहां वर्तमान में निवास कर रहे हैं	स्थिति–अभियुक्त/प्रस्तावित अभियुक्त/साक्षी/कोई अन्य	न्यायालय का नाम	केस संख्या रिकार्ड (सीएनआर संख्या), यदि कोई हो

HOME DEPARTMENT (HOME POLICE-II)

NOTIFICATION

Delhi, the 13th August, 2025

Delhi BNSS (Service of Summons and Warrants) Rules, 2025

F. No. /11/08/2024/HP-II/Part File/2696-2705.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 64(1) and under clause (i) of section 530 and other enabling provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, read with Notification bearing S.O. No. 2506(E), dated 28.06.2024 of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, the Lieutenant Governor of the NCT of Delhi hereby makes the following Rules, namely:-

1. Short title and commencement-

(i) These rules may be called the 'Delhi BNSS (Service of Summons and Warrants) Rules, 2025'.

(ii) They shall extend to the District Courts in the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(iii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Definitions-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "CCTNS" means Crime and Criminal Tracking Network and Systems, a system software used by the Police for the collection of data and execution of instructions;

(b) "CIS" means Case Information System, a system software used by the District Judiciary in Delhi for the collection of data and execution of instructions;

(c) "Disclosed Electronic Mail Address" means the email account of a person or organization that is used by the person or organization to send and receive messages over internet, and is shown to be admitted, or provided by such person or organization either personally or on a website or portal;

(d) "Electronic Communication" means electronic communication as defined in Section 2(1)(i) of the Sanhita;

(e) "eSign" means authentication of any electronic record by a subscriber or court, by means of the electronic technique specified in the Second Schedule of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and includes digital signature. Also, when a process or report generated in electronic form is authenticated by means of electronic signature, it shall be deemed to be authenticated by signature of the person who affixed the electronic signature;

(f) "High Court" means the High Court of Delhi;

(g) "Process" means summons and warrants;

(h) Sanhita" means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023);

(i) "Seal" means image of the seal of the Court;

(j) "Summons" means any summons issued under the Sanhita;

(k) "Warrant" means a warrant issued under the Sanhita and includes bailable warrant and non-bailable warrant.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023); the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023); the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023) and the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

3. Generation of process-

(1) The Courts shall generate and issue process in electronic mode through CIS in such forms as set forth in the Second Schedule of the Sanhita, with such variations as the circumstances of each case may require.

(2) Every process issued in form of electronic communication under the Sanhita must ordinarily be written in the language of the court and shall be in an encrypted form of electronic communication.

(3) The process generated in electronic form shall bear the image of the seal of the Court and eSign of the Presiding Officer of the Court or any other officer authorised in writing by him in this regard. Every warrant of arrest in electronic form shall be issued by eSign of the Presiding Officer of the Court and shall also bear the image of the seal of the Court.

(4) Every process issued electronically shall contain eSign in such a manner that the name of the Court and the capacity in which the signatory or subscriber acts, should be clearly mentioned.

(5) The summons required to be served through electronic communication, wherever required, may be accompanied by soft copies or scanned copies of the complaint, charge-sheet, documents, etc.

4. Register of details:

(1) The Officer In-charge of every Police Station shall cause to be maintained a register, in electronic form or otherwise, for entering the requisite particulars in respect of every person qua whom summons and warrants under Sanhita may be required to be issued, in the form specified in **Schedule-I** appended to these Rules.

(2) Where during the course of any inquiry, investigation or trial it appears to a police officer or to a Court that there may arise a situation where any person may have to be served with summons or warrants under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 at that stage or at a later stage, whether as an accused or witness or otherwise, such police officer or Court may ask such person to furnish a declaration addressed to the Officer In-charge of the concerned Police Station stating the requisite particulars specified in Schedule I with respect to such person along with an undertaking that such person shall immediately inform the Officer In-charge of the concerned Police Station in case of change in any of the particulars specified in **Schedule-I**.

(3) If any of such details are not available, the Officer In-charge of the Police Station shall make an endorsement to that effect in the Register:

Provided that any such details may be amended on the basis of further verification or on the basis of an application by such person.

(4) The Officer In-charge of every Police Station shall cause a copy, in electronic form, of such Register, to be communicated to the concerned Judicial Magistrate or Special Court, as the case may be on a monthly basis through the official email of the concerned Court and the said information shall be maintained in CIS and may be used for issuance of process.

(5) The officer In-charge of the Police Station shall also ensure that the verified details as specified in **Schedule I** are entered in CCTNS.

5. Details in a complaint case-

Where a case is filed on the basis of a private complaint, the complainant shall provide the details relating to address, disclosed electronic mail address, phone number and messaging application of the accused and witnesses along with the complaint. If any of such information is not available, the complaint shall make an endorsement to that effect. The said details shall also be transmitted in electronic form and maintained in CIS and may be used for issuance of process.

6. Non-disclosure of details of victim and witnesses-

(1) The details relating to disclosed electronic mail address, phone number and messaging application of the victim and witnesses shall not be disclosed to the accused.

(2) Where any process is issued in cases relating to offences under sections 64 to 71 of The Bharatiya Nyaya Sanhita (45 of 2023) or offences against women or children or offences under The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the concerned officer shall ensure that the identity of the victim is not revealed in any manner during the course of service or execution.

7. Electronic summons Delivery Centre-

(1) The Government of NCT of Delhi and the Delhi Police shall establish an Electronic Summons Delivery Centre in each Police Station along with requisite infrastructure, for service of summons through electronic communication under the Sanhita.

(2) Every other investigation agency shall also establish such Electronic Summons Delivery Centre in its office for service of summons through electronic communication under the Sanhita.

8. Service of Summons through Electronic Communication:

(1) The summons shall be served upon any person through electronic communication by an officer of the court issuing it.

Explanation: Wherever service is directed to be effected through electronic communication the summons may be served through e-mail, WhatsApp or any other instant messaging service as the Court may specify by order, enabling delivery of the summons in digital form on the email ID or WhatsApp number or other instant messaging service ID of the recipient, as are available in the Register maintained in accordance with Rule 4.

9. Service of Summons where requisite details are not available:

(1) Where the Court does not possess the required electronic address/ contact details of the person to whom such summons are intended to be served or where the process issued as per Rule 9 is not served, the Court may order that the summons be served by a police officer or by an official officer of any other investigation agency or by an official of the Revenue department or any other department of the Government of NCT of Delhi as the Court may specify in its order.

(2) Where the summons are required to be served under sub-rule(1), the same shall be transmitted for service to the Electronic Summons Delivery Centre of the concerned Police Station or the office of the concerned investigation agency for service.

(3) The Officer In-charge of the Police Station or any other officer deputed by him, upon receipt of such summons may forward the summons on the disclosed electronic mail address, mobile phone number or messaging application of the person summoned.

(4) In case the verified details of the email address, mobile phone number or messaging application relating to the person summoned are not available, the Officer In-charge of the Police Station or any other officer deputed by him shall make an entry in that regard and after taking printout in duplicate of the summons issued in electronic mode, shall execute the same in accordance with procedure prescribed under the Sanhita and the Rules made thereunder.

(5) Where the summons generated in electronic form are received on CCTNS through a secured system, in an encrypted or any other form of electronic communication, it shall be presumed to be issued by the Court. Further, any printout of such process shall have the same effect as issued in original for the purpose of its execution.

10. Delivery of Summons-

(1) Where summons are served by way of electronic mail, service shall be deemed to have been made if the service provider generates acknowledgement of the delivery.

(2) When any summons is sent to a person or organization on disclosed electronic mail address, unless the delivery of the electronic mail is disrupted or bounced back for any reason whatsoever, the delivery may be deemed to have been effected; and unless the contrary is proved, be deemed to have been effected at the time at which the electronic mail would be delivered.

(3) Where summons are served by way of any other electronic communication including messaging application, the acknowledgement shall form of the report of the service and the report shall contain details including mobile number, messaging application and screenshot/ photo of the application reflecting delivery of communication.*Explanation*: Acknowledgement includes an acknowledgement given by-

(a) any communication by the addressee, automated or otherwise; or

(b) any conduct of the addressee, sufficient to indicate to the originator that the electronic record has been received.

(4) The Court may, on being satisfied, regard being had to the mode of service adopted, the common course of human conduct and public and private business, by order declare the summons to be duly served through electronic communication.

(5) A copy of the summons/ process along with report of service shall be kept on record as a proof of service of summons/process.

(6) Where the summons are not served by an electronic mail or other mode of electronic communication, or delivery is disrupted and undelivered or bounced back for any other reason, the concerned officer shall prepare a report in that regard containing all details including mobile number, messaging application and screenshot/ photo of the application and submit the same to the Court.

11. Service of warrants or any process in person-

(1) Where any warrant is issued in electronic mode, the Officer In-charge of the Police Station or any police officer deputed by him shall take a printout of the warrant and execute the same in accordance with the Sanhita and rules made thereunder.

(2) Where any process is served or executed other than through electronic mode, the Police Officer while making service or executing the process shall take acknowledgement of the recipient and may capture photograph, which shall form part of the report of service.

(3) Upon due service or non-service of the warrant or other process, the serving officer of the concerned Police Station shall transmit the report along with relevant documents including bail bonds, photographs, acknowledgement, if any, to the concerned Court in electronic form through CCTNS, unless required to submit the same in physical form.

(4) The Court, upon receiving the report in electronic form under sub-rule (3), may act upon such report as deemed appropriate.

(5) A printout of the report supported by a certification under sub-section (4) of Section 63 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023) shall be deemed to be sufficient for the purpose of satisfaction as to service/ execution of the process.

12. Saving of the powers of the Court:

Nothing in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the power of the Court relating to service of summons or notices or other communications as given in the Sanhita or any other law for the time being in force.

13. Repeals and Savings:

(1) "Delhi BNSS (Service of Summons) Rules, 2025 hereby stand repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any prior acts done or directions issued under the "Delhi BNSS (Service of Summons) Rules, 2025" shall be deemed to have been done or issued under the present Rules.

(3) Any rule made shall be in addition to and not in derogation of, any other law or rule for the time being in force for issuance, service and execution of process by Court.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SANJEEV KUNDU, Dy. Secy. (Home-I)

Schedule-I

(**Section 64(1) of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023)**

(Refer Rule-4)

INFORMATION TO BE ENTERED IN THE REGISTER

Police Station

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
FIR No.	Registered on	Under Sections	Full name of the person with aliases, if any	Name of father/ husband/ mother/ wife	Present address	Permanent Address, if any	Office Address, if any	Phone No.	Mobile No.	Whatsapp No.	Any other instant messaging ID	Disclosed E-mail address, if any	PS (with state/UT/ City) where currently residing	Status- Accused/ Proposed Accused/ Witness/ Any other	Name of the Court	Case No. Record (CNR No.), if any

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.19 14:44:40 +05'30'